फाइल नं0-71-2002(002)/3/2025-03

122/2025/I/1151015/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 21 नवम्बर, 2025

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में ट्रामा सेन्टर लेवल-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I (एपेक्स ट्रामा सेन्टर-200 बेडेड के रूप में) परिवर्तित कर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-825/कानपुर अपेक्स ट्रामा/तकनीकी सेल/2024, दिनॉक 29.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में ट्रामा सेन्टर लेवल-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I (एपेक्स ट्रामा सेन्टर-200 बेडेड के रूप में) परिवर्तित कर स्थापित किये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 48142.98 लाख (चार अरब इक्यासी करोड़ बयालीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-91-राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेन्टर-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I में परिवर्तित किये जाने हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख के सापेक्ष रू0 16850.04 लाख (रू0 एक अरब अड़सठ करोड़ पचास लाख चार हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना में प्रस्तावित हेलीपैड के के निर्माण के दृष्टिगत प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व प्रायोजना की ड्राइंग/डिजाइन/स्ट्रक्चरल डिजाइन पर नागरिक उड्ड्यन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा भवन की स्ट्रक्चरल डिजाइन को अन्तिम रूप से प्रतिष्ठित संस्थान (आई0आई0टी0) से वेट कराया जायेगा।

(2) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना के निर्माण हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 का उपयोग किया गया है।

(3) प्रायोजना के कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह के स्थान पर 24 माह प्रस्तावित किये जाने के दृष्टिगत जी0एफ0आर0 2017 के एपेन्डिक्स-11 में इंगित फार्मूला जी0एफ0आर0 2017 (संशोधित दिनांक 31.07.2022) की क्लाज-225 (VIII) तथा लो0नि0वि0 के शासनादेश 13/2020/492/23-7-2020-19(सा0)/2019, दिनांक 16.06.2020 के क्रम में मूल्य परिवर्तन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(Price Variation) हेतु प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था स्वयं आश्वस्त होते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) प्रायोजनान्तर्गत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 में निर्देश के क्रम में थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल की लागत को अनुमन्य कर दिया गया है। थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय से ही निर्माणाधीन प्रायोजना की विभिन्न मुख्य स्टेजेज उदाहरणस्वरूप फाउण्डेशन, कुर्सी तल, लिंटल स्तर एवं छत पडने इत्यादि पर आवश्यक भौतिक स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रधानाचार्य द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में मेडिकल फर्नीचर, हास्पिटल फर्नीचर, मेडिकल सर्विसेज यथा-मेडिकल गैस पाईप लाइन माडुलर ओ०टी० सी०एस०एस०डी०, किचेन एक्यूपमेन्ट इत्यादि, सी0सी0टी0वी0, एस0एस0 कन्ट्रोल सिस्टम हेतु प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें उक्त कार्य से सम्बन्धित विशेषज्ञ भी सम्मिलित हो। यह समिति उक्त कार्यमदों की मात्रा एवं स्पेसीफिकेशन का निर्धारण करेगी। उक्त समिति द्वारा निर्धारित उक्त कार्यमदों की मात्रा एवं स्पेसीफिकेशन को ही प्रायोजना की आर0एफ0पी0 में सम्मिलित किया जाये।

(6) प्रायोजना की लागत रु0 50.00 करोड़ से अधिक है। अतः संदर्भित प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।

(9) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के कम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(15) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(16) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।

(17) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(18) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(19) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(20) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(21) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(22) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,68,50,04,000 (रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ पचास लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310591 राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेन्टर-।। को ट्रामा सेन्टर लेवल-। में परिवर्तित किया जाना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-156/दस-2025-26, दिनांक 17 नवम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।